

No. 49941*

**Republic of Korea
and
India**

**Treaty on extradition between the Republic of Korea and the Republic of India.
New Delhi, 5 October 2004**

Entry into force: *8 June 2005 by the exchange of instruments of ratification, in
accordance with article 20*

Authentic texts: *English, Hindi and Korean*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Republic of Korea, 6 July
2012*

* *No UNTS volume number has yet been determined for this record. The Text(s) reproduced below, if attached, are the authentic texts of the agreement /action attachment as submitted for registration and publication to the Secretariat. For ease of reference they were sequentially paginated. Translations, if attached, are not final and are provided for information only.*

**République de Corée
et
Inde**

**Traité d'extradition entre la République de Corée et la République de l'Inde. New
Delhi, 5 octobre 2004**

Entrée en vigueur : *8 juin 2005 par échange des instruments de ratification,
conformément à l'article 20*

Textes authentiques : *anglais, hindi et coréen*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *République de Corée, 6
juillet 2012*

* *Numéro de volume RTNU n'a pas encore été établie pour ce dossier. Les textes reproduits ci-dessous, s'ils sont disponibles, sont les textes authentiques de l'accord/pièce jointe d'action tel que soumises pour l'enregistrement et publication au Secrétariat. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutive. Les traductions, s'ils sont inclus, ne sont pas en form finale et sont fournies uniquement à titre d'information.*

[ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS]

**TREATY ON EXTRADITION
BETWEEN THE REPUBLIC OF KOREA
AND THE REPUBLIC OF INDIA**

The Republic of Korea and the Republic of India (hereinafter referred to as "the Parties"),

Desiring to strengthen their bilateral relations and to make more effective their cooperation in the prevention and suppression of crime by concluding a treaty on extradition,

Have agreed as follows:

Article 1
Obligation to Extradite

Each Party agrees to extradite to the other, in accordance with the provisions of this Treaty, any person who is wanted in the Requesting Party for prosecution/trial, or imposition or enforcement of punishment for an extraditable offence.

Article 2
Extraditable Offences

1. For the purpose of this Treaty, extraditable offences are offences which, at the time of the request, are punishable under the laws of both Parties by deprivation of liberty for a period of at least one year or by a more severe penalty.
2. Where the request for extradition relates to a person sentenced to deprivation of liberty by a court of the Requesting Party for any extraditable offence, extradition shall be granted only if a period of at least six (6) months of the sentence remains to be served.
3. For the purpose of this Article, in determining whether an offence is an offence against the laws of both Parties:
 - (a) it shall not matter whether the laws of the Parties place the conduct constituting the offence within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology; and

- (b) the totality of the conduct alleged against the person whose extradition is sought shall be taken into account and it shall not matter whether, under the laws of the Parties, the constituent elements of the offence differ.

4. Where extradition of a person is sought for an offence against a law relating to taxation, customs duties, foreign exchange control or other revenue matters, extradition may not be refused on the grounds that the law of the Requested Party does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, duty, customs or exchange regulation of the same kind as the law of the Requesting Party.

5. Where the offence has been committed outside the territory of the Requesting Party, extradition shall be granted where the law of the Requested Party provides for the punishment of an offence committed outside its territory in similar circumstances. Where the law of the Requested Party does not so provide, the Requested Party may, in its discretion, grant extradition.

6. If the request for extradition refers to several offences each of which is punishable under the laws of both Parties, but some of which do not fulfill the other conditions set out in paragraphs 1 and 2 of this Article, extradition may be granted for the offences provided that the person is to be extradited for at least one extraditable offence.

Article 3

Mandatory Grounds for Refusal

Extradition shall not be granted under this Treaty in any of the following circumstances:

- (a) when the Requested Party determines that the offence for which extradition is requested is a political offence or an offence connected with a political offence. Reference to a political offence shall not include the following offences:
 - (i) the taking or attempted taking of the life or an assault on the person of a Head of State or Head of Government or a member of his or her family;

- (ii) an offence in respect of which the Parties have the obligation to extradite or submit the case to their competent authorities for prosecution, by reason of a multilateral international treaty/convention to which they are both parties;
 - (iii) murder or culpable homicide/manslaughter;
 - (iv) an offence, involving firearms, explosives, incendiaries, destructive devices or substances, causing death, grievous bodily harm or serious damage to property; or
 - (v) a conspiracy or attempt to commit, or participation in, any of the foregoing offences;
- (b) when the person sought is being proceeded against or has been tried and convicted or acquitted in the territory of the Requested Party for the offence for which his extradition is requested;
 - (c) when the prosecution or the punishment for the offence for which extradition is requested would have been barred by lapse of time under the law of the Requested Party had the same offence been committed in the Requested Party. Acts or circumstances that would suspend the lapse of time under the law of the Requesting Party shall be given effect by the Requested Party, and in this regard the Requesting Party shall provide a written statement of the relevant provisions of its law relating to the lapse of time;
 - (d) when the Requested Party has well-founded reasons to suppose that the request for extradition has been presented with a view to prosecuting or punishing the person sought, by reason of race, religion, nationality, sex or political opinion, or that the person's position may be prejudiced for any of those reasons.

Article 4

Optional Grounds for Refusal

Extradition may be refused under this Treaty in any of the following circumstances:

- (a) when the offence for which extradition is sought is regarded under the law of the Requested Party as having been committed in whole or in part within its territory. If extradition is refused solely on this ground, the

Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its authorities for prosecution. Where extradition is refused on that ground and subsequently prosecution is not found feasible in the Requested Party for whatever reason, the Requested Party shall so inform the Requesting Party. In such circumstances, the Requesting Party may again request the extradition of that person. The Requested Party shall reconsider the request;

- (b) when the person sought has been finally acquitted or convicted in a third State for the same offence for which extradition is requested and, if convicted, the sentence imposed has been fully enforced or is no longer enforceable;
- (c) when, in exceptional cases, the Requested Party, while also taking into account the seriousness of the offence and the interests of the Requesting Party, deems that the extradition would be incompatible with humanitarian considerations, particularly the age or health of the person sought;
- (d) when the offence for which extradition is requested is an offence under military law, which is not also an offence under ordinary criminal law.

Article 5

Postponement of Extradition

When the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested Party may surrender the person sought or postpone surrender until the conclusion of the proceeding or the service of the whole or any part of the sentence imposed. The Requested Party shall inform the Requesting Party of any postponement.

Article 6

Extradition of Nationals

1. Neither of the Parties shall be bound to extradite its own nationals under this Treaty, but the Requested Party shall have the power to extradite such person if, in its discretion, it is deemed proper to do so.

2 If extradition is refused solely on the basis of the nationality of the person sought, the Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its authorities for prosecution.

3. Nationality shall be determined at the time of the commission of the offence for which extradition is requested.

Article 7

Extradition Procedures and Required Documents

1. The request for extradition shall be submitted in writing through diplomatic channels.

2. The request for extradition shall be accompanied by:

- (a) documents which describe the identity, and, if possible, the nationality and location of the person sought;
- (b) a statement of the facts of the case;
- (c) a statement of the laws describing the essential elements and the designation of the offence;
- (d) a statement of the laws describing the punishment for the offence; and
- (e) a statement of the laws relating to the time limit on the prosecution or the execution of punishment of the offence.

3. When the request for extradition relates to a person who is wanted for prosecution/trial, it shall be accompanied by:

- (a) a copy of the warrant of arrest issued by a judge or other competent authority of the Requesting Party;
- (b) information establishing that the person sought is the person to whom the warrant of arrest refers; and
- (c) a statement regarding the conduct alleged to constitute the offence such as would provide reasonable ground to believe that the person sought has committed the offence for which extradition is requested.

4. When the request for extradition relates to a person tried and convicted, it shall be accompanied by:

- (a) a certified copy of the judgement setting out the conviction and the sentence imposed;
- (b) information establishing that the person sought is the same person who has been convicted; and
- (c) a statement regarding the conduct constituting the offence for which the person was convicted.

5. The extradition request and all supporting documents to be presented pursuant to the provisions of this Treaty shall be authenticated and accompanied by a translation thereof into the Korean language for a request to be made to the Republic of Korea and into the English language for a request to be made to the Republic of India.

6. A document is authenticated for the purpose of this Treaty, if it has been signed or certified by a judge or other competent officer of the Requesting Party and sealed by the official seal of the competent authority of the Requesting Party.

Article 8

Supplementary Information

1. If the Requested Party considers at any stage that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient in accordance with this Treaty to enable extradition to be granted, that Party may request that supplementary information be furnished within such time as it may specify.

2. If the person whose extradition is sought is under arrest and the supplementary information furnished is not sufficient in accordance with this Treaty or is not received within the time specified, the person may be released from custody. Such release shall not preclude the Requesting Party from making a new request for the extradition of that person.

3. Where the person is released from the custody in accordance with paragraph 2, the Requested Party shall notify the Requesting Party as soon as practicable.

Article 9
Provisional Arrest

1. In case of urgency, a Party may request the provisional arrest of the person sought pending the presentation of the request for extradition. A request for provisional arrest may be transmitted through diplomatic channels or directly between the Ministry of Justice of the Republic of Korea and the Central Bureau of Investigation of the Republic of India.

2. The application for provisional arrest shall be in writing and contain:
 - (a) a description of the person sought, including information concerning the person's nationality;
 - (b) the location of the person sought, if known;
 - (c) a brief statement of the facts of the case, including, if possible, the time and place of the commission of the offence;
 - (d) a description of the laws violated;
 - (e) a statement of the existence of a warrant of arrest, or judgement of conviction against the person sought; and
 - (f) a statement that a request for extradition of the person sought will follow.

3. On receipt of such an application, the Requested Party shall take the necessary steps to secure the arrest of the person sought and the Requesting Party shall be promptly notified of the result.

4. The person arrested may be set at liberty if the Requesting Party fails to present the request for extradition, accompanied by the documents specified in Article 7, within forty-five (45) days from the date of arrest, provided that this shall not prevent the institution of proceedings with a view to extraditing the person sought if the request is subsequently received.

5. The period of the provisional arrest shall not, in any case, exceed sixty (60) days from the date of the provisional arrest.

Article 10
Simplified Extradition

When a person sought advises a court or other competent authorities of the Requested Party that he/she consents to his/her extradition, the Requested Party shall take all necessary measures to expedite the extradition to the extent permitted under its laws.

Article 11 Concurrent Requests

1. Where requests are received from two or more States for the extradition of the same person either for the same offence or for different offences, the Requested Party shall determine to which of those States the person is to be extradited and shall notify those States of its decision.
2. In determining to which State a person is to be extradited, the Requested Party shall consider all relevant factors, including but not limited to:
 - (a) the nationality and the ordinary place of residence of the person sought;
 - (b) whether the requests were made pursuant to an applicable treaty or arrangement;
 - (c) the time when and the place where each offence was committed;
 - (d) the respective interests of the requesting States;
 - (e) the gravity of the offences;
 - (f) the nationality of the victim;
 - (g) the possibility of further extradition between the requesting States; and
 - (h) the respective dates of the requests.

Article 12 Surrender

1. The Requested Party shall, as soon as a decision on the request for extradition has been made, communicate that decision to the Requesting Party through diplomatic channels. Reasons shall be given for any complete or partial refusal of a request for extradition.
2. The Requested Party shall surrender the person sought to the competent authorities of the Requesting Party at a location in the territory of the Requested Party acceptable to both Parties.
3. The Requesting Party shall remove the person from the territory of the Requested Party within such reasonable period as the Requested Party specifies and, if the person is not removed within that period, the Requested Party may set that person at liberty and may refuse extradition for the same offence.

4. If circumstances beyond its control prevent a Party from surrendering or removing the person to be extradited, it shall notify the other Party, and in this case the provisions of paragraph 3 of this Article shall not apply. The two Parties shall mutually decide upon a new date of surrender or removal in accordance with the provisions of this Article.

Article 13

Surrender of Property

1. To the extent permitted under the laws of the Requested Party and subject to the rights of third parties, which shall be duly respected, all property found in the territory of the Requested Party that has been acquired as a result of the offence or may be required as evidence shall, if the Requesting Party so requests, be surrendered if extradition is granted.

2. Subject to paragraph 1 of this Article, the above-mentioned property shall, if the Requesting Party so requests, be surrendered to the Requesting Party even if the extradition cannot be carried out owing to the death, disappearance or escape of the person sought.

3. Where the law of the Requested Party or the protection of rights of third parties so requires, any property so surrendered shall be returned to the Requested Party free of charge if that Party so requests.

Article 14

Rule of Speciality

1. A person extradited under this Treaty may not be detained, tried, or punished in the Requesting Party except for:

- (a) the offence for which extradition has been granted or a differently denominated offence based on the same facts on which extradition was granted, provided such offence is extraditable, or is a lesser included offence;
- (b) an offence committed after the extradition of the person; or

- (c) an offence for which the executive authority of the Requested Party consents to the person's detention, trial, or punishment for an offence;

For the purpose of this subparagraph:

- (i) the Requested Party may require the submission of the documents called for in Article 7;
- (ii) a copy of statement, if any, made by the extradited person with respect to the offence shall be submitted to the Requested Party; and
- (iii) the person extradited may be detained by the Requesting Party for such period of time as the Requested Party may authorize, while the request is being processed.

2. A person extradited under this Treaty may not be extradited to a third State for an offence committed prior to his extradition unless the Requested Party consents.

3. Paragraphs 1 and 2 of this Article shall not prevent the detention, trial, or punishment of an extradited person, or the extradition of that person to a third State, if:

- (a) that person leaves the territory of the Requesting Party after extradition and voluntarily returns to it; or
- (b) that person does not leave the territory of the Requesting Party within 45 days of the day on which that person is free to leave.

Article 15

Information of Results

The Requesting Party shall provide timely information to the Requested Party relating to the proceedings against or the imposition or enforcement of punishment upon the person extradited or the re-extradition of that person to a third State.

Article 16

Transit

1. To the extent permitted by its law, transportation of a person surrendered to one Party by a third State through the territory of the other Party shall be authorized on request in writing made through diplomatic channels or directly between the Ministry of Justice of the Republic of Korea and the Central Bureau of Investigation of the Republic of India.

2. Authorization for transit shall not be required when air transport is to be used and no landing is scheduled in the territory of the Party of transit. If an unscheduled landing occurs in the territory of that Party, it may require the other Party to furnish a request for transit as provided in paragraph 1 of this Article.

Article 17

Costs

1. The Requested Party shall meet the cost of any proceedings in its jurisdiction arising out of a request for extradition.

2. The Requested Party shall bear the cost incurred in its territory in connection with the arrest and detention of the person whose extradition is sought, or the seizure and surrender of property.

3. The Requesting Party shall bear the cost incurred in removing the person whose extradition is granted from the territory of the Requested Party and the cost of transit.

Article 18

Consultation

1. The Parties shall consult, at the request of either Party, concerning the interpretation and the application of this Treaty.

2. The Ministry of Justice of the Republic of Korea and the Ministry of External Affairs of the Republic of India may consult with each other directly in connection with the processing of individual cases and in furtherance of maintaining and improving procedures for the implementation of this Treaty.

Article 19
Relations with International Conventions

This Treaty shall not affect the rights and obligations of the Parties arising from multilateral international conventions/agreements to which they both are parties.


Article 20
Entry into Force and Termination

1. This Treaty is subject to ratification. It shall enter into force on the date of the exchange of the instruments of ratification.
2. This Treaty shall apply to offences committed before as well as after the date it enters into force.
3. Either Party may terminate this Treaty by giving notice in writing through diplomatic channels at any time. Termination shall take effect six (6) months after the date on which the notice is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at New Delhi on this fifth day of October, 2004 in the Korean, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE REPUBLIC OF KOREA



FOR THE REPUBLIC OF INDIA



[HINDI TEXT – TEXTE HINDI]

कोरिया गणराज्य
और
भारत गणराज्य
के बीच
प्रत्यर्पण से संबद्ध संधि

कोरिया गणराज्य और भारत गणराज्य (जिन्हें इसमें इसके बाद 'पक्षकार' कहा जाए)

अपने द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने तथा प्रत्यर्पण से संबद्ध एक संधि संपन्न करने के द्वारा अपराध की रोकथाम और दमन में अपने सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाने की इच्छा से,

निम्नलिखितानुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद-एक
प्रत्यर्पण करने की बाध्यता

प्रत्येक पक्ष इस संधि के प्रावधानों के अनुसार, दूसरे पक्ष को ऐसे किसी व्यक्ति जो अनुरोधकर्ता पक्ष में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के संबंध में अभियोजन / मुकदमे के लिए अथवा दण्ड देने अथवा प्रवृत्तन के लिए वांछित है, प्रत्यर्पित करने के लिए सहमत है।

अनुच्छेद - दो
प्रत्यर्पणीय अपराध

1. इस संधि के प्रयोजन के लिए, प्रत्यर्पणीय अपराध वे अपराध हैं, जो अनुरोध के समय, दोनों पक्षकारों की विधियों के तहत कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्रता के वंचन अथवा अपेक्षाकृत कठोर दण्ड द्वारा दण्डनीय हैं।

2. जिस मामले में प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए अनुरोधकर्ता पक्ष के किसी न्यायालय द्वारा स्वतंत्रता के वंचन से सजायापत्ता किसी व्यक्ति से संबंधित है, प्रत्यर्पण केवल तभी स्वीकृत किया जाएगा यदि कम से कम छह(6) माह की अवधि की सजा दिया जाना शेष रहता हो।

3. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, यह सुनिश्चित करने में कि क्या कोई अपराध दोनों पक्षों की विधियों के विरुद्ध कोई अपराध है :

(क) इस बात का कोई महत्व नहीं होगा कि क्या पक्षकारों की विधियों के अंतर्गत आचरण अपराध की समान श्रेणी के भीतर अपराध बनता है या अपराध को समान शब्दावली द्वारा निर्दिष्ट करता है ; और

(ख) उस व्यक्ति के विरुद्ध तथाकथित आचरण की समग्रता जिसका प्रत्यर्पण वांछनीय है, ध्यान में रखा जाएगा और यह बात महत्वहीन है कि क्या, पक्षकारों की विधियों के तहत अपराध के घटक तत्व भिन्न हैं।

4. जिस मामले में किसी व्यक्ति का प्रत्यर्पण करारोपण, सीमा - शुल्क, विदेशी विनियम नियंत्रण या अन्य राजस्व मामलों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के संबंध में वांछित है, प्रत्यर्पण से इन आधारों पर इंकार नहीं किया जा सकता कि अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष की

विधि समान प्रकार का कर या शुल्क नहीं लगाता है या अनुरोधकर्ता पक्ष की विधि के अंतर्गत समान प्रकार के किसी कर, शुल्क, सीमा - शुल्क या विनियम विनियमन के प्रावधान नहीं हैं।

5. जहां अपराध अनुरोधकर्ता पक्ष के प्रदेश के बाहर किया गया है, प्रत्यर्पण प्रदान किया जाएगा जहां अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष की विधि में ऐसा प्रावधान नहीं होता है, अनुरोध प्राप्त कर्ता पक्ष अपने विवेक से प्रत्यर्पण प्रदान कर सकता है।

6. यदि प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध अनेक अपराधों से संबंधित है जिनमें से प्रत्येक दोनों पक्षों की विधि के तहत दण्डनीय अपराध है, किंतु उनमें से कुछ इस अनुच्छेद के पैरा -1 और 2 में निर्दिष्ट अन्य शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, प्रत्यर्पण अपराधों के लिए प्रदान किया जा सकता है बशर्ते कि वह व्यक्ति कम से कम एक प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पित किया जाना है।

अनुच्छेद - तीन **इंकार के लिए अधिदेशात्मक आधार**

इस संधि के तहत निम्नलिखित किही परिस्थितियों में प्रत्यर्पण प्रदान नहीं किया जाएगा :

(क) जब अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष यह निर्धारित करता है कि अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है एक राजनैतिक अपराध है या ऐसा अपराध किसी राजनैतिक अपराध से जुड़ा हुआ है। किसी राजनैतिक अपराध के संदर्भ में निम्नलिखित अपराधों को शामिल नहीं किया जाएगा।

(i) किसी राज्याध्यक्ष या शासन प्रमुख अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य की हत्या या हत्या का प्रयास या उस पर कोई हमला ;

(ii) ऐसा अपराध जिसके संबंध में दोनों पक्षों के किसी बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि/ अभिसमय जिसके दोनों पक्षकार हैं, के कारण प्रत्यर्पण करने या अभियोजन के लिए अपने-अपने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष मामले प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं ;

(iii) हत्या या सदीष मानवबध / मानवबध ;

(iv) एक अपराध जिसमें आग्नेयास्त्र, विस्फोटक, गृहदाह, विनाशक प्रणालियां या पदार्थ शामिल हों, जिनसे मृत्यु, गंभीर शारीरिक चोट या संपत्ति के लिए भारी नुकसान हो ; अथवा

(v) कोई षडयंत्र या उल्लिखित अपराधों में से किसी को करने का प्रयास या भागीदार हो,

(ख) जब वांछित व्यक्ति के विरुद्ध अनुरोध प्राप्त कर्ता पक्ष के प्रदेश में उस अपराध के लिए जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है कार्यवाही चलाई गई है या मुकदमा चलाया गया है और दोष सिद्ध या दोषमुक्त किया है।

(ग) जब उस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है, अभियोजन का दण्ड अनुरोध प्राप्त कर्ता राज्य की विधि के तहत कालातीत द्वारा बाधित हो गया हो, अनुरोध प्राप्त कर्ता पक्ष के प्रदेश में समान अपराध किया गया था। वे कृत्य अथवा परिस्थितियां जिनमें अनुरोध कर्ता पक्ष की विधि के तहत कालातीत निलम्बित हो जाएगा, अनुरोध प्राप्त कर्ता पक्ष द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, तथा इस संबंध में अनुरोध कर्ता पक्ष कालातीत के संबंध में अपनी विधि के संगत प्रावधानों का एक लिखित विवरण प्रदान करेगा।

(घ) जब अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के पास यह मानने के लिए सुरस्थापित कारण है कि प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग या राजनीतिक राय के कारण अथवा उस व्यक्ति की स्थिति इन कारणों में से किसी के लिए पूर्वाग्रह हो सकता है, वांछित व्यक्ति पर अभियोग चलाने अथवा दण्डित करने के मद्देनजर प्रस्तुत किया गया है।

अनुच्छेद - चार **इंकार के लिए वैकल्पिक आधार**

इस संधि के तहत किही निम्निलिखित परिस्थितियों में प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है :-

(क) जब उस अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण मांगा गया है अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष की विधि के तहत वह उसके प्रदेश के भीतर संपूर्ण रूप में अथवा आंशिक रूप में किया गया माना गया है। यदि प्रत्यर्पण से मात्र इस आधार पर इंकार किया जाता है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष के अनुरोध पर, अभियोजन के लिए अपने प्राधिकारियों के समक्ष मामले को प्रस्तुत कर सकता है। जब उस आधार पर प्रत्यर्पण से इंकार किया है और इसके पश्चात अभियोजन अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष में व्यवहार्य नहीं पाया गया है चाहे जो भी कारण हो, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोधकर्ता पक्ष इसे सूचित करेगा। ऐसी परिस्थितियों में, अनुरोधकर्ता पक्ष उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए पुनः अनुरोध कर सकता है। अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोध पर पुनः विचार करेगा ;

(ख) जब वांछित व्यक्ति समान अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है किसी तीसरे राज्य में अंतिम रूप से दोषमुक्त या दोषसिद्ध कर दिया गया है और, यदि दोषसिद्ध हो, तो दी गई सजा पूर्णरूप से प्रवर्तित हो गई है या प्रवर्तनीय नहीं है ;

(ग) जब, विशेष मामलों में, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अपराध की गंभीरता और अनुरोधकर्ता पक्ष के हित को भी ध्यान में रखते हुए मानता है कि प्रत्यर्पण मानवीय आधार, विशेषरूप से वांछित व्यक्ति की आयु या स्वास्थ्य के परस्पर विरोधी हो ;

(घ) जब वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है सैन्य विधि के तहत एक अपराध है, जो सामान्य आपराधिक विधि के तहत भी कोई अपराध नहीं है।

अनुच्छेद - पांच
प्रत्यर्पण का स्थगन

जब वांछित व्यक्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष में किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के विरुद्ध कार्यवाही ही चल रही है या कोई सजा काट रहा है, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष वांछित व्यक्ति का समर्पण कर सकता है या कार्यवाहियों की समाप्ति या दी गई संपूर्ण सजा अथवा सजा के किसी भाग को काटने तक समर्पण स्थागित कर सकता है। अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोधकर्ता पक्ष को किसी स्थगन के बारे में सूचित करेगा।

अनुच्छेद - छह
राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण

1. दोनों में से कोई पक्ष इस संधि के तहत अपने स्वयं के राष्ट्रिकों को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य नहीं होगा, किंतु अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के पास ऐसे व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने का अधिकार होगा यदि उसके विवेक में, ऐसा करना उचित समझा गया हो।
2. यदि प्रत्यर्पण से वांछित व्यक्ति की मात्र राष्ट्रीयता के आधार पर इंकार किया जाता है, तो अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष के अनुरोध पर, अभियोजन के लिए अपने प्राधिकारियों के समक्ष मामले को प्रस्तुत करेगा।
3. राष्ट्रीयता उस अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया है, के करने के समय निर्धारित की जाएगी।

अनुच्छेद - सात
प्रत्यर्पणक्रिया-विधियां और अपेक्षित दस्तावेज

1. प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध राजनयिक माध्यमों के जरिए लिखित में प्रस्तुत किया जाएगा।
2. प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध के साथ संलग्न होगा :-
 - (क) वे दस्तावेज जो पहचान का वर्णन करें और यदि संभव हो, वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता और अवस्थिति;
 - (ख) मामलों के तथ्यों का एक विवरण ;
 - (ग) अपराध के आवश्यक घटकों तथा विशेष विवरण वर्णित करने वाली विधियों का एक विवरण ;
 - (घ) अपराध के लिए दण्ड वर्णित करने वाली विधियों का एक विवरण ; और
 - (ङ) अपराध के दण्ड के निष्पादन के अभियोजन पर समय सीमा से संबंधित विधियों का एक विवरण।

3. जब प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध ऐसे व्यक्ति से संबंधित है जो अभियोजन / मुकदमे के लिए वांछित है, इसके साथ संलग्न होगा :-

(क) अनुरोधकर्ता पक्ष के एक न्यायाधीश अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी के वारंट की एक प्रति ;

(ख) यह स्थापित करने वाली सूचना कि वांछित व्यक्ति वही व्यक्ति है जिससे संबंधित गिरफ्तारी का वारंट है, और

(ग) अपराध बनने के लिए तथाकथित आचरण के संबंध में एक विवरण जो यह मानने का तार्किक आधार प्रदान करेगा कि वांछित व्यक्ति ने वह अपराध किया है जिसके लिए प्रत्यर्पण अनुरोध किया है ।

4. जब प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध मुकदमा चले हुए तथा दोषसिद्ध किसी व्यक्ति से संबंधित है, इसके साथ संलग्न होगा :

(क) दोषसिद्धि और दी गई सजा निर्दिष्ट करने वाले निर्णय की एक प्रमाणित प्रति;

(ख) यह स्थापित करने वाली सूचना कि वांछित व्यक्ति वहीं व्यक्ति है जो दोषसिद्ध हुआ है ; और

(ग) वह अपराध जिसके लिए उस व्यक्ति को दोषसिद्ध किया था, बनाने वाले आचरण के संबंध में एक विवरण ।

5. प्रत्यर्पण अनुरोध और इस संधि के अनुसरण में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी समर्थनकारी दस्तावेज सत्यापित होंगे तथा कोरिया गणराज्य के लिए किए जाने वाले किसी अनुरोध के संबंध में कोरियाई भाषा में उसके साथ एक अनुवाद संलग्न हो तथा भारत गणराज्य के लिए किए जाने वाले किसी अनुरोध के संबंध में अंग्रेजी भाषा में उसके साथ एक अनुवाद संलग्न हो ।

6. इस संधि के प्रयोजन के लिए एक दस्तावेज सत्यापित है, यदि वह अनुरोधकर्ता पक्ष के किसी न्यायाधीश या अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाणित किया गया है तथा अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की सरकारी मोहर लगी है ।

अनुच्छेद आठ संपूरक सूचना

1. यदि किसी स्तर पर अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष समझता है कि प्रत्यर्पण संबंधी किसी अनुरोध के समर्थन में प्रस्तुत सूचना इस संधि के अनुसार पर्याप्त नहीं है जिससे प्रत्यर्पण प्रदान किया जाना है, वह पक्ष यह अनुरोध कर सकता है कि संपूरक सूचना ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत की जाए जैसा कि वह निर्दिष्ट कर सके ।

2. यदि उस व्यक्ति जिसका प्रत्यर्पण मांगा है गिरफ्तार है तथा प्रस्तुत संपूरक सूचना इस संधि के अनुसार पर्याप्त नहीं है या निर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं हुई है, उस व्यक्ति को हिरासत से छोड़ा जा सकता है। ऐसी रिहाई अनुरोधकर्ता पक्ष को उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का एक नया अनुरोध करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी।
3. जहां पैरा 2 के अनुसार अभिरक्षा से रिहा व्यक्ति के बारे में अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोधकर्ता पक्ष को यथा शीघ्र व्यवहार्य होने पर सूचित करेगा।

अनुच्छेद नौ
अनंतिम गिरफ्तारी

1. तात्कालिकता के मामले में कोई पक्ष प्रत्यर्पण संबंधी अनुरोध के प्रस्तुतीकरण के लम्बित होने पर वांछित व्यक्ति की अस्थायी गिरफ्तारी का अनुरोध कर सकता है। अनंतिम गिरफ्तारी संबंधी एक अनुरोध राजनयिक माध्यमों के जरिए संप्रेषित किया जाए या सीधे कोरिया गणराज्य के न्याय मंत्रालय तथा भारत गणराज्य के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के बीच।
2. अनन्तिम गिरफ्तारी संबंधी आवेदन लिखित में यथा समाविष्ट होंगे :
 - (क) व्यक्ति की राष्ट्रीयता से संबंधित सूचना सहित वांछित व्यक्ति का एक हुलिया;
 - (ख) वांछित व्यक्ति की अवस्थिति, यदि जानकारी हो;
 - (ग) यदि संभव हो, अपराध करने का समय और स्थान सहित मामले के तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण ;
 - (घ) जिन कानूनों का उल्लंघन किया गया हो उनका विवरण;
 - (ङ) वांछित व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट, अथवा दोषसिद्धि का निर्णय होने का विवरण; और
 - (च) इसके साथ ही यह सूचित करना होगा कि वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध बाद में भेजा जाएगा।
3. ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार, वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और इसके परिणाम के बारे में अनुरोधकर्ता पक्षकार को तुरंत सूचित किया जाएगा।
4. यदि अनुरोधकर्ता पक्षकार, गिरफ्तारी की तिथि से 45 दिन के अंदर अनुच्छेद -7 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों सहित प्रत्यर्पण का अनुरोध प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। परंतु इस रिहाई के कारण वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के उद्देश्य से

मुकदमा चलाने से अनुरोधकर्ता पक्षकार को रोका नहीं जा सकता बशर्ते कि अनुरोध बाद में प्राप्त हो जाए ।

5. अनंतिम गिरफ्तारी की अवधि, अनंतिम गिरफ्तारी की तिथि से किसी भी हालत में 60 दिन से अधिक नहीं होगी ।

अनुच्छेद - 10 **सरलीकृत प्रत्यर्पण**

जब कोई वांछित व्यक्ति, अनुरोधकर्ता पक्षकार के न्यायालय को अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारियों को यह समझा देगा कि वह स्वयं के प्रत्यर्पण के लिए सहमत है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार, अपने कानूनों के अधीन अनुमत्य सीमा तक प्रत्यर्पण में तेजी लाने के लिए सभी जरूरी उपाय करेगा ।

अनुच्छेद -11 **समवर्ती अनुरोध**

1. जब एक ही व्यक्ति के प्रत्यर्पण हेतु, एक ही अपराध के लिए या भिन्न-भिन्न अपराधों के लिए दो या अधिक राज्यों से अनुरोध प्राप्त हों तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार यह निश्चित करेगा कि इन राज्यों में से किस राज्य को उस वांछित व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जाएगा और अपने निर्णय के बारे में उन राज्यों को सूचना देगा ।

2. यह निर्णय लेते समय कि वांछित व्यक्ति किस राज्य को प्रत्यर्पित किया जाएगा, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार सभी संगत उपादानों पर जिनमें निम्नलिखित उपादान भी शामिल होंगे, विचार करेगा परंतु ऐसा करते समय वह इनके अलावा उपादानों पर भी विचार कर सकता है :-

(क) वांछित व्यक्ति की राष्ट्रीयता और उसके सामान्य निवास का स्थान;

(ख) क्या अनुरोध किसी प्रयोज्य संधि अथवा व्यवस्था के अनुसरण में किया गया है;

(ग) वह समय, जब और वह स्थान, जहां प्रत्येक अपराध घटित हुआ था;

(घ) अनुरोधकर्ता राज्यों के अपने-अपने हित;

(ङ) अपराधों की गंभीरता;

(च) अपराध पीड़ित की राष्ट्रीयता;

(छ) अनुरोधकर्ता पक्षकारों के बीच आगे - प्रत्यर्पण की संभावना; और

(ज) अनुरोधों की तदनुसूची तिथियां ।

अनुच्छेद -12 **आत्म-समर्पण**

1. प्रत्यर्पण के अनुरोध पर निर्णय लिए जाते ही अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, निर्णय की सूचना राजनयिक चैनलों के माध्यम से अनुरोधकर्ता राज्य को देगा। प्रत्यर्पण के अनुरोध की किसी आंशिक अथवा सम्पूर्ण अस्वीकृति के कारण दर्ज किए जाएं।
2. अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य और अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कार्य क्षेत्र में किसी अवस्थान पर, वांछित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों के सुपुर्द करेगा।
3. अनुरोधकर्ता पक्षकार, अनुरोधप्राप्त कर्ता पक्षकार के राज्य क्षेत्र से उस व्यक्ति को ऐसी समुचित अवधि के अंदर हटा लेगा जो कि अनुरोधप्राप्त कर्ता पक्षकार ने विनिर्दिष्ट की हो और यदि उस व्यक्ति को उस अवधि के अंदर नहीं हटाया जाता तो अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार उस व्यक्ति को छोड़ सकता है और उसी अपराध के लिए प्रत्यर्पित करने से इंकार कर सकता है।
4. यदि नियंत्रण से परे परिस्थितियों में कोई पक्षकार प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को नहीं सौंप पाता अथवा हटा पाता तो वह दूसरे पक्षकार को अधिसूचित करेगा और इस मामले में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3 के प्रावधान नहीं लागू होंगे। दोनों पक्षकार इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार सौंपे जाने अथवा हटाए जाने की तारीख का निर्धारण करेंगे।

अनुच्छेद - तेरह **संपत्ति का सौंपा जाना**

1. अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून की अनुमान्य सीमा तक और तृतीय पक्षकारों के अधिकारों के अनुरूप, जिनका विधिवत आदर किया जाएगा, अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के क्षेत्र में अपराध के परिणामस्वरूप पाई गई सभी संपत्तियां जिनका अधिग्रहण किया गया हो अथवा जिनका साक्ष्य के तौर पर अधिग्रहण किया जाना हो, अनुरोधकर्तापक्षकार के अनुरोध पर सौंप दी जाएगी यदि प्रत्यर्पण प्रदान कर दिया गया हो।
2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के अनुरूप अनुरोध कर्ता पक्षकार के अनुरोध करने पर उपर्युक्त संपत्ति अनुरोधकर्ता पक्षकार को सौंप दी जाएगी चाहे अपेक्षित व्यक्ति की मृत्यु, गायब होने अथवा भाग जाने के कारणवश प्रत्यर्पण नहीं हो सके।
3. जहाँ अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कानून अथवा तृतीय पक्षकार के अधिकारों को संरक्षण अपेक्षित हो, वहाँ सौंपी गई कोई भी संपत्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता के अनुरोध पर अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार को निःशुल्क लौटा दी जाएगी।

अनुच्छेद - चौदह
विशेषता का नियम

1. इस संधि के तहत प्रत्यर्पित किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों से इतर किसी भी परिस्थिति में नज़रबंद नहीं किया जाए, नहीं मुकद्मा चलाया जाए अथवा न ही अनुरोध कर्ता पक्ष में दण्ड दिया जाए :-

(क) उस अपराध के लिए जिसपर प्रत्यर्पण प्रदान किया गया हो अथवा उन्हीं तथ्यों के आधार पर निर्धारित भिन्न अपराध पर जिन पर प्रत्यर्पण प्रदान किया गया हो, बशर्ते इस प्रकार का अपराध प्रत्यर्पणीय हो, अथवा शामिल किया गया कमतर अपराध हो ;

ख) किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के पश्चात अपराध को अंजाम दिया गया हो ; अथवा

ग) ऐसा अपराध जिसके लिए अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के कार्यकारी प्राधिकारी उस व्यक्ति की नज़रबंदी, उसपर मुकद्मा चलाने अथवा उसे किसी अपराध का दण्ड देने के लिए सहमत हो;

इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ:

(i) अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा अनुच्छेद सात में मांगे गए दस्तावेजों को प्रस्तुत करना अपेक्षित हो सकता है ;

(ii) अपराध के संबंध में यदि प्रत्यर्पित व्यक्ति द्वारा दिए गए वक्तव्य की प्रति दी गई हो तो उसे अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार को सौंपा जाएगा ; और

(iii) अनुरोध की पूर्ति के दौरान अनुरोध कर्ता पक्षकार द्वारा प्रत्यर्पित व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार द्वारा प्राधिकृत समयावधि के लिए नज़रबंद किया जा सकता है ।

2. इस संधि के अंतर्गत प्रत्यर्पित व्यक्ति को उसके प्रत्यर्पण से पूर्व किए गए अपराध के लिए तीसरे राज्य को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता जबतक कि अनुरोधकर्ता पक्षकार की सहमति नहीं हो ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 से प्रत्यर्पित व्यक्ति की नज़रबंदी, उसपर मुकद्मा चलाने अथवा दण्ड देने अथवा किसी तीसरे राज्य में उसके प्रत्यर्पण पर रोक नहीं लगेगी, यदि :

(क) वह व्यक्ति प्रत्यर्पण के पश्चात अनुरोध कर्ता पक्षकार के क्षेत्र को छोड़ देता है और स्वेच्छा से उसमें लौट आता है ; अथवा

(ख) जाने के लिए स्वतंत्र होने के 45 दिवसों के बीच वह व्यक्ति अनुरोध कर्ता पक्षकार के क्षेत्र को नहीं छोड़ता ।

अनुच्छेद - पंद्रह
परिणामों की सूचना

अनुरोध कर्ता पक्षकार प्रत्यर्पित व्यक्ति अतः उस व्यक्ति के तीसरे राज्य में पुनः प्रत्यर्पित होने पर उसके विरुद्ध कार्यवाहियों से अथवा दण्ड लगाने से संबंधित सूचना अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार को देगा ।

अनुच्छेद सोलह
गुजरने का स्थान

1. जहाँ तक उसके कानून द्वारा अनुमत्य हो, दूसरे पक्षकार के क्षेत्र के माध्यम से तीसरे पक्षकार द्वारा एक पक्षकार को सौंपे गए व्यक्ति को भेजा जाना कोरिया गणराज्य के न्याय मंत्रालय और भारत गणराज्य के केंद्रीय जॉन्स ब्यूरो के बीच राजनयिक चैनलों के माध्यम से अथवा परोक्ष रूप से अनुरोध पर लिखित रूप से प्राधिकृत किया जाएगा ।
2. ट्रांज़िट का प्राधिकरण तब अपेक्षित नहीं होगा जब उसे वायुयान द्वारा भेजा जाना हो और ट्रांज़िट पक्षकार के क्षेत्र में वायुयान का उतरना निर्धारित नहीं हो । अनिर्धारित रूप से विमान के ट्रांज़िट पक्षकार के क्षेत्र में उतरने पर दूसरे पक्षकार से इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में निहित ट्रांज़िट के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना अपेक्षित हो सकता है ।

अनुच्छेद - सत्रह
लागत

1. अनुरोध कर्ता पक्षकार अपने न्यायाधिकार में प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध से उत्पन्न होने वाली किसी भी कार्यवाही की लागत का वहन करेगा ।
2. अनुरोध कर्ता पक्षकार उस व्यक्ति की गिरफ्तारी और नज़रबंदी के संबंध में अपने क्षेत्र में आई लागत का वहन करेगा जिसका प्रत्यर्पण अथवा संपत्ति का अधिग्रहण और उसे सौंपा जाना अपेक्षित हो ।
3. अनुरोध कर्ता पक्षकार उस व्यक्ति को हटाने और उसे भेजने की लागत का वहन करेगा जिसका प्रत्यर्पण अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्षकार के क्षेत्र से किया गया हो ।

अनुच्छेद - अट्ठारह
परामर्श

1. पक्षकार एक दूसरे के अनुरोध पर इस संधि के निर्वचन और अनुप्रयोग के संबंध में परामर्श करेंगे ।
2. कोरिया गणराज्य का न्याय मंत्रालय और भारत गणराज्य का विदेश मंत्रालय विशिष्ट मामलों को निपटाने और इस संधि के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं को बनाए रखने और उनमें सुधार लाने के संबंध में एक दूसरे से सीधे परामर्श कर सकते हैं ।

अनुच्छेद - उन्नीस
अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के साथ संबंध

यह संधि उन बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों /समझौतों से उत्पन्न होने वाले पक्षकारों के अधिकारों और बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगी जिसके दोनों पक्षकार हों ।

अनुच्छेद - बीस
प्रवृत्त होना और समापन

1. यह संधि अनुसमर्थन पर आधारित होगी । यह अनुसमर्थन के साधनों के आदान-प्रदान की तारीख से प्रवृत्त होगी ।
2. यह संधि अपने प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व और बाद में होने वाले अपराधों पर भी लागू होगी ।
3. कोई भी पक्षकार किसी भी समय राजनयिक चैनल के माध्यम से लिखित नोटिस द्वारा इस संधि को समाप्त कर सकता है । नोटिस देने की तारीख से छह(6) महीने पश्चात इसका समापन हो जाएगा ।

जिसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरी ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होते हुए इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं ।

दो प्रतियों में नई दिल्ली में वर्ष दो हजार चार के अक्टूबर माह के 5 वीं तारीख को कोरियाई, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में संपन्न, सभी पाठ समान रूप से मान्य होंगे । निर्वचन में भिन्नता होने पर अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

कोरिया गणराज्य की
ओर से

반기문

भारत गणराज्य की
ओर से

नरेश कुमार

[KOREAN TEXT – TEXTE CORÉEN]

**대한민국과 인도공화국간의
범죄인인도조약**

대한민국과 인도공화국(이하 "당사국"이라 한다)은,

범죄인의 인도에 대한 조약을 체결함으로써 양자간의 관계를 강화하고 범죄의 예방과 억제에 있어서 보다 효율적으로 협력할 것을 희망하여,

다음과 같이 합의하였다.

제 1 조

인도의무

각 당사국은 이 조약의 규정에 따라 인도대상범죄에 대한 기소·재판 또는 형의 집행이나 부과를 위하여 요청국에서 청구하는 자를 상대방당사국에게 인도하기로 합의한다.

제 2 조

인도대상범죄

1. 이 조약의 목적상, 인도대상범죄는 인도청구시 양 당사국의 법에 의하여 최소 1년 이상의 자유형이나 그 이상의 중형으로 처벌할 수 있는 범죄로 한다.

2. 청구국의 법원이 인도대상범죄에 대하여 자유형을 선고한 자에 대한 인도청구의 경우에는 최소한 6월 이상의 형기가 남아 있는 경우에만 그 인도가 허용된다.

3. 이 조의 목적상, 어떤 범죄가 양 당사국의 법에 위반되는 범죄인지의 여부를 결정함에 있어서,

가. 당사국의 법이 범죄를 구성하는 행위를 동일한 범주의 범죄에 포함시키는지의 여부 또는 그 범죄를 동일한 죄명으로 규정하는지의 여부는 문제되지 아니한다.

나. 인도청구된 자에 대한 형의행위는 총체적으로 고려되어야 하며, 당사국의 법에 의하여 범죄구성요건이 상이한지 여부는 문제되지 아니한다.

4. 조세·관세·외국환관리 또는 그 밖의 재정문제에 관한 법을 위반한 범죄에 대하여 인도청구되는 경우, 피청구국의 법이 청구국의 법과 동일한 종류의 조세·관세를 부과하고 있지 아니하거나 같은 종류의 조세·관세 또는 외국환에 관한 규정을 두고 있지 아니하다는 이유로 인도가 거절되어서는 아니된다.

5. 범죄가 청구국의 영역 밖에서 행하여진 경우에는, 피청구국의 법이 그와 유사한 상황에서 자국의 영역 밖에서 행하여진 범죄에 대하여 처벌규정을 두고 있는 경우에 인도가 허용된다. 피청구국의 법이 그와 같이 규정하고 있지 아니하는 경우, 피청구국은 자신의 재량에 따라 그 인도를 허용할 수 있다.

6. 인도청구가 여러 범죄와 관련되고 그 각각의 범죄를 양 당사국의 법에 의하여 처벌할 수 있으나 그 중 일부가 제1항 및 제2항에 규정된 다른 조건을 충족하지 아니하는 경우에는, 최소 1개의 인도대상범죄에 대하여 범죄인을 인도할 수 있다면 그 밖의 다른 범죄에 대하여도 그 인도가 허용될 수 있다.

제 3 조 절대적 인도거절

이 조약에 따라 다음 각목의 경우에는 범죄인인도가 허용되지 아니한다.

가. 인도청구되는 범죄가 정치적 범죄이거나 정치적 범죄와 관련된 범죄라고 피청구국이 결정하는 경우.

다만, 다음의 범죄는 정치적 범죄에 포함되지 아니한다.

(1) 국가원수·정부수반 또는 그 가족구성원의 생명에 대한 침해행위나 그 미수행위 또는 그들의 신체에 대한 공격행위

(2) 양 당사국이 모두 당사국인 다자간 국제협정에 의하여 기소를 위하여 인도할 의무를 부담하거나 기소하도록 권한 있는 당국에 그 사건을 제출할 의무를 부담하고 있는 범죄

(3) 모살 또는 고살

(4) 사망, 신체에 대한 중대한 위해 또는 재산상의 손해를 일으키는 화기·폭발물·인화물·파괴장치 또는 물질과 관련된 범죄

(5) (1) 내지 (4)의 범죄의 음모·미수·참여

나. 인도청구되는 자가 인도청구되는 범죄에 대하여 피청구국의 영역 안에서 기소되거나 유죄나 무죄를 선고받은 경우

- 다. 인도청구되는 범죄와 동일한 범죄가 피청구국에서 행하여졌다면 피청구국의 법상 시효의 경과로 인하여 그 범죄에 대한 기소·처벌이 금지되었을 경우. 청구국 법상 시효를 정지시키는 행위나 상황은 피청구국에 의하여 그 효력이 부여되며, 이와 관련하여 청구국은 시효의 경과에 관한 자국법의 관련규정에 대한 서면설명을 제공하여야 한다.
- 라. 인도청구되는 자의 인종·종교·국적·성별 또는 정치적 견해를 이유로 기소·처벌하기 위하여 인도청구가 이루어졌거나 그 자의 지위가 그러한 이유로 침해될 것이라고 피청구국이 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우

제 4 조 임의적 인도거절

- 이 조약에 따라 다음 각목의 경우에는 범죄인인도가 거절될 수 있다.
- 가. 인도청구된 범죄가 피청구국의 법상 피청구국 영역 안에서 전부 또는 일부가 행하여졌다고 보는 경우. 인도가 이러한 이유로 거절될 경우, 피요청국은 요청국의 요청이 있으면 기소를 위하여 자국의 당국에 그 사건을 회부하여야 한다. 범죄인인도가 그러한 이유로 거절되었으며, 그 이후에 피요청국에서의 기소가 어떠한 이유로든 가능하지 아니한 것으로 판명되는 경우, 피요청국은 이러한 사실을 요청국에 통보한다. 이러한 경우에 요청국은 그 사람의 인도를 재요청할 수 있다. 피요청국은 그 요청을 재고려하여야 한다.
- 나. 인도청구된 자가 인도 청구된 범죄와 동일한 범죄로 제3국에서 확정적으로 무죄 또는 유죄의 선고를 받았으며, 유죄가 선고된 경우에는 형이 완전히 집행되었거나 더 이상 집행될 수 없는 경우
- 다. 피청구국이 범죄의 중대성 및 청구국의 이익을 고려하면서도 청구된 사람의 나이나 건강으로 인하여 그 인도가 인도적 고려와 양립할 수 없다고 인정하는 예외적인 경우
- 라. 인도청구된 범죄가 일반 형법상으로는 범죄가 아니면서 군사법상의 범죄인 경우

제 5 조 인도의 연기

피청구국에서 인도청구되는 범죄와는 다른 범죄로 인도청구된 자에 대한 재판절차가 진행중이거나 이미 선고된 형이 집행중인 경우, 피청구국은 인도청구된 자를 인도하거나 또는 재판절차가 완료되거나 형의 전부 또는 일부의 집행이 종료될 때까지 인도를 연기할 수 있다. 이 경우 피청구국은 모든 연기사실을 청구국에 통보하여야 한다.

제 6 조 자국민의 인도

1. 당사국은 이 조약에 의하여 자국민을 인도할 의무가 없다. 다만, 피청구국이 재량으로 인도하는 것이 적절하다고 인정하는 경우 자국민을 인도할 권한을 가진다.

2. 피청구국이 인도청구된 자의 국적만을 이유로 인도를 거절하는 경우, 피청구국은 청구국의 요청이 있으면 기소를 위하여 자국의 당국에 그 사건을 회부하여야 한다.

3. 국적은 인도청구된 범죄의 행위시점을 기준으로 결정한다.

제 7 조 인도절차 및 필요서류

1. 인도청구는 외교경로를 통하여 서면으로 제출한다.

2. 인도청구서에는 다음 각목의 사항이 첨부되어야 한다.

- 가. 인도청구된 자의 신원, 그리고 가능하다면 그 자의 국적과 소재지를 기재한 서류
- 나. 당해 사건의 사실에 대한 설명서
- 다. 당해 범죄의 본질적 구성요건과 죄명을 규정한 법조문

라. 당해 범죄의 형벌을 규정한 법조문

마. 당해 범죄의 공소시효 또는 형의 시효와 관련된 법조문

3. 인도청구가 기소/재판에 회부된 자에 대한 것인 경우에는 다음 각목의 사항이 첨부되어야 한다.

가. 청구국의 법관 또는 그 밖의 권한 있는 당국이 발부한 체포영장의 사본

나. 인도청구된 자가 체포영장의 대상이 되는 자임을 증명하는 자료

다. 인도청구된 자가 인도청구된 범죄를 행하였다고 믿을 만한 합리적 근거를 제공할 수 있는 범죄구성의 혐의행위에 대한 설명

4. 인도청구가 재판되어 유죄의 판결을 받은 자에 대한 것인 경우에는 다음 각목의 사항이 첨부되어야 한다.

가. 유죄판결 및 부과된 형벌을 기재한 판결문의 인증된 사본

나. 인도청구된 자가 유죄판결을 받은 동일한 자임을 증명하는 자료

다. 유죄판결을 받은 자의 범죄를 구성하는 행위에 대한 설명서

5. 인도청구 및 이 조약의 규정에 따라 제출하는 모든 근거서류는 인증되어야 하고 대한민국에게 요청할 인도청구서는 한국어 번역문을, 인도공화국에게 요청할 인도청구서는 영어 번역문을 첨부하여야 한다.

6. 청구국의 법관 또는 그 밖의 권한 있는 공무원이 서명하거나 인증하고 또한 청구국의 권한 있는 당국의 관인으로 날인한 서류는 이 조약의 목적상 인증된 것으로 본다.

제 8 조

추가자료

1. 피청구국은 언제든지 인도청구를 위하여 제공된 자료가 이 조약에 따라 인도를 허용하기에 충분하지 아니하다고 판단하는 경우, 청구국에 대하여 자국이 지정하는 기간내에 추가자료를 제출하도록 요청할 수 있다.

2. 인도청구된 자가 체포되어 있고, 제출된 추가자료가 이 조약에 따라 인도를 허용하기에 충분하지 아니하거나 지정된 기간내에 접수되지 아니하는 경우, 그 자는 구금으로부터 석방될 수 있다. 그러한 석방은 청구국의 그 자에 대한 새로운 인도청구를 방해하지 아니한다.

3. 피청구국은 제2항에 따라 인도청구된 자를 석방한 경우, 청구국에 이를 최대한 조속히 통보하여야 한다.

제 9 조 긴급인도구속

1. 긴급한 경우에는, 일방당사국은 인도청구서를 제출하기 전에 인도청구되는 자에 대한 긴급인도구속을 청구할 수 있다. 긴급인도구속의 청구는 외교 경로를 통하거나 대한민국 법무부와 인도공화국 중앙수사국간에 직접 전달될 수 있다.

2. 긴급인도구속의 신청은 서면에 의하되, 다음 각목의 사항이 포함되어야 한다.

- 가. 청구되는 자의 국적에 대한 정보를 포함하여 그 자에 대한 기술
- 나. 알고 있는 경우에 청구되는 자의 소재
- 다. 가능한 경우에는 범 죄가 일어난 일시·장소를 포함한 사건의 사실에 대한 간략한 설명
- 라. 위반된 법에 대한 기술
- 마. 청구되는 자에 대한 체포영장이나 유죄판결의 존재에 대한 설명
- 바. 청구되는 자에 대한 인도청구서가 추후 송부될 것이라는 설명

3. 피청구국은 긴급인도구속의 청구를 접수하는 때에는, 인도청구된 자를 체포하기 위하여 필요한 조치를 행하여야 하며, 그 결과를 청구국에 신속히 통보하여야 한다.

4. 청구국이 긴급인도구속일로부터 45일 이내에 제7조에 규정된 서류를 첨부한 인도청구서를 제출하지 아니하는 경우에는 그 구속된 자는 석방된다. 다만, 그 석방은 인도청구서가 추후에 접수된 경우 그 자의 인도를 위한 절차가 개시되는 것을 방해하지 아니한다.

5. 긴급인도구속 기간은 어떠한 경우에도 긴급인도구속이 이루어진 날부터 60일을 초과할 수 없다.

제 10 조 약식인도

인도청구된 자가 피청구국의 법원이나 그 밖의 권한있는 당국에 대하여 인도에 동의한다는 의사를 표시하는 경우에는, 피청구국은 자국법이 허용하는 범위 안에서 신속한 인도를 위하여 필요한 모든 조치를 행할 수 있다.

제 11 조 인도청구의 경합

1. 피청구국은 동일인에 대하여 둘 이상의 국가로부터 동일하거나 상이한 범죄를 이유로 인도청구를 받은 경우에는, 어느 국가에게 그 자를 인도할 것인지를 결정하고 이들 국가에게 그 결정을 통보하여야 한다.

2. 피청구국은 인도청구된 자를 어느 국가에 인도할 것인지를 결정함에 있어서, 다음 각목의 사항을 포함한 모든 관련 요소를 고려하여야 한다.

가. 인도청구된 자의 국적 및 통상 거주지

나. 인도청구가 적용 가능한 조약이나 약정에 의한 것인지의 여부

다. 각 범죄가 발생한 일시 및 장소

라. 각 청구국의 이해관계

마. 범죄의 중대성

바. 피해자의 국적

사. 청구국간의 추후 인도가능성

아. 각 인도청구의 일자

제 12 조 인 도

1. 피청구국은 인도청구에 대한 결정을 한 때에는 지체없이 외교경로를 통하여 이를 청구국에 통보하여야 하며, 인도청구의 전부나 일부를 거절한 때에는 그 이유를 제시하여야 한다.
2. 피청구국은 양 당사국에게 수락가능한 피청구국 영역안의 장소에서 청구국의 권한있는 당국에게 인도청구된 자를 인도한다.
3. 청구국은 피청구국이 정한 합리적인 기간내에 피청구국의 영역으로부터 인도청구된 자를 인수하고, 피청구국은 청구국이 그 기간내에 인수하지 아니하는 경우에는 인도청구된 자를 석방할 수 있으며, 동일한 범죄에 대하여 그 인도를 거절할 수 있다.
4. 일방당사국이 불가항력적 사유로 인하여 인도청구된 자를 인도 또는 인수할 수 없는 경우에는 타방당사국에 이를 통지하여야 하며, 이 경우 제3항의 규정은 적용되지 아니한다. 양 당사국은 이 조의 조건에 따라 인도 또는 인수할 새로운 일자를 공동으로 결정한다.

제 13 조 재산의 인도

1. 피청구국은 자국법상 허용되는 범위안에서 그리고 제3자의 권리를 정당하게 존중할 것을 조건으로, 범행의 결과로 취득되었거나 증거로 요구될 수 있는 것으로서 자국의 영역 안에서 발견된 모든 재산을 청구국의 요청이 있고 범죄인의 인도가 이루어지는 경우에 청구국으로 인도한다.
2. 제1항에 따라, 위에 언급된 재산은 인도청구된 자의 사망, 실종 또는 도주로 인하여 범죄인의 인도가 이루어질 수 없는 경우에도 청구국의 요청이 있으면 청구국에 인도된다.

3. 피청구국의 법상 또는 제3자의 권리보호를 위하여 필요하고 피청구국의 요청이 있을 경우, 인도된 재산은 피청구국의 비용부담 없이 피청구국으로 반환된다.

제 14 조 특정성의 원칙

1. 이 조약에 따라 인도된 자는 다음 각목의 범죄를 제외하고는 청구국에서 구금·재판을 받거나 처벌되지 아니한다.

가. 인도가 허용된 범죄, 또는 인도가 허용된 동일한 범죄사실에 근거하는 다른 이름의 범죄. 다만, 그러한 다른 이름의 범죄는 인도대상범죄에 해당하거나 인도가 허용된 범죄의 일부를 구성하는 범죄이어야 한다.

나. 인도된 자의 인도 이후에 발생한 범죄

다. 피청구국이 인도된 자의 구금·재판 또는 처벌에 동의한 범죄
이 항의 목적상,

- (1) 피청구국은 제7조에 규정된 서류의 제출을 요구할 수 있다.
- (2) 인도된 자가 작성한 그러한 범죄에 대한 진술서 사본은 피청구국에 제출되어야 한다.
- (3) 인도된 자는 그 요청이 처리되는 중에 피청구국이 허가하는 기간동안 청구국에 의하여 구금될 수 있다.

2. 이 조약에 의하여 인도된 자는 피청구국이 동의하지 아니하는 한 그 인도 이전에 행한 범죄로 인하여 제3국으로 인도될 수 없다.

3. 제1항 및 제2항의 규정은 다음 각목의 경우에 있어서 인도된 자의 구금·재판 또는 처벌이나 제3국으로의 인도를 방해하지 아니한다.

가. 인도된 자가 인도 이후에 청구국의 영역을 떠났다가 자발적으로 청구국에 재입국한 경우

나. 인도된 자가 자유로이 청구국을 떠날 수 있게 된 날부터 45일 이내에 청구국의 영역을 떠나지 아니하는 경우

제 15 조
결과의 통보

청구국은 인도된 자에 대한 재판이나 형의 부과나 집행 또는 제3국으로의 재인도에 관한 정보를 피청구국에게 적시에 통보하여야 한다.

제 16 조
통 과

1. 제3국에 의하여 일방당사국의 영역을 통과하여 타방당사국으로 인도되는 자의 호송은, 외교경로 또는 대한민국 법무부와 인도공화국 중앙수사국간에 직접적으로 서면요청이 있는 경우에 통과당사국의 법이 허용하는 범위 안에서 허가된다.

2. 항공수송이 이용되고 통과당사국의 영역 안에서 착륙이 예정되지 아니하는 경우에는 통과를 위한 승인이 요구되지 아니한다. 통과당사국의 영역 안에서 예정되지 아니한 착륙이 이루어지는 경우에는, 통과당사국은 타방당사국에 대하여 제1항에 규정된 통과요청서를 제출할 것을 요구할 수 있다.

제 17 조
비 용

1. 피청구국은 인도청구로부터 발생하는 자국의 관할 안에서의 모든 절차에 관한 비용을 부담한다.

2. 피청구국은 인도청구된 자의 체포·구금 또는 재산의 압수·인도와 관련하여 자국의 영역 안에서 발생하는 비용을 부담한다.

3. 청구국은 인도가 허용된 자를 피청구국의 영역으로부터 이송하는데 발생하는 비용과 통과비용을 부담한다.

제 18 조
협 의

1. 양 당사국은 어느 일방당사국의 요청에 따라 이 조약의 해석·적용에 관하여 협의한다.

2. 대한민국 법무부 및 인도공화국의 외무부는 개별 사건의 처리와 관련하여 그리고 이 조약의 이행을 위한 절차의 유지 및 개선을 촉진하는데 있어서 상호간에 직접 협의할 수 있다.

제 19 조
국제협약과의 관계

이 조약은 양 당사국이 모두 당사자인 다자간 국제협약/협정에서 발생하는 권리 및 의무에 영향을 미치지 아니한다.

제 20 조
발효 및 종료

1. 이 조약은 비준되어야 하며, 비준서를 교환한 날에 발효한다.

2. 이 조약은 그 발효일 이후 및 그 이전에 행하여진 범죄에 대하여도 적용된다.

3. 일방당사국은 언제라도 외교경로를 통하여 서면통고로써 이 조약을 종료시킬 수 있으며, 종료의 효력은 그러한 통고일로부터 6월 후에 발생한다.

이상의 증거로, 아래 서명자들은 그들 각자의 정부로부터 정당하게 권한을 위임받아 이 조약에 서명하였다.

2004년 10월 5일 뉴델리에서 동등하게 정본인 한국어본·힌디어본 및 영어본으로 각 2부씩 작성하였다. 해석상의 차이가 있을 경우에는 영어본이 우선한다.

대한민국을 대표하여

박기훈

인도공화국을 대표하여

어스미시리